संख्या 41/XX-2/17-2बी(01)/2016

प्रेषक,

डा०उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

गृह अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 31 जनवरी, 2017

विषय: आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियम, 1962 के अन्तर्गत निर्गत/स्वीकृत शस्त्र व्यावसायिक लाईसेंस प्रपत्र 11, 12, 13 एवं 14 को आयुध नियम, 2016 के अनुसार नवीन प्रारूप में निर्गत करने के संबंध में निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह अवगत कराये जाने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या:जी०एस०आर० 701(E), दिनांक: 15.07.2016 के माध्यम से आयुध नियमावली, 2016 प्रभावी कर दिया गया है । उक्त नियमावली के नियम 73 की व्यवस्थानुसार नये शस्त्र व्यावसायिक लाईसेंस प्राप्त करने हतु फार्म ए-8 में आवेदन करना होगा, जिन्हे प्ररूप-8 में शस्त्र व्यावसायिक लाईसेंस स्वीकृत किया जायेगा । प्रपत्र 12, 13 एवं 14 को आयुध नियम, 2016 में कम्पोजिट रूप में प्ररूप-8 (अग्न्यायुध एवं गोला बारूद व्यवहारी के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति) कर दिया गया है । इसी प्रकार मरम्मत कार्य से सम्बन्धित शस्त्र व्यावसायिक लाईसेंस प्रपत्र-11 को आयुध नियम, 2016 के प्ररूप-9ए (बन्दूक बनाने वाले को अग्न्यायुध की मरम्मत(लघु) करने या परीक्षण करने(प्रमाण परीक्षण से भिन्न) करने या मरम्मत(लघु) या परीक्षण(प्रमाण परीक्षण से भिन्न) के लिए रखने हेतु अनुज्ञप्ति) में रूपान्तरित कर दिया गया है । इसी प्रकार प्रपत्र-9 को आयुध नियम, 2016 में प्ररूप-7 में परिवर्तित कर दिया गया है । प्ररूप-7 में शस्त्र व्यावसायिक लाईसेंस गृह मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से निर्गत किया जायेगा । अत: अब प्रपत्र 11, 12, 13 एवं 14 के स्थान पर प्रपत्र 8 एवं 9ए रह जायेंगें । नियमावली के नियम 73(3) के अनुसार प्ररूप 8 की वैधता अवधि 05 वर्ष होगी अर्थात 05 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण कराना होगा ।

आयुध नियम, 1962 के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों हेतु शासन स्तर से निर्गत अधिकांश प्रपत्र 11 एवं 12 के वर्ष 2016 तक का नवीनीकरण कर दिया गया है तथा ऐसी सम्भावना है कि शासन की अनापत्ति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रपत्र 13 एवं 14 के वर्ष 2016 तक नवीनीकरण भी जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से कर दिया गया होगा ।

2- उपरोक्त परिस्थियों में समस्त प्रपत्रों (प्रपत्र 11, 12, 13 एवं 14) को मूलरूप में समयबद्ध रूप से शासन को वापस किया जाना होगा ताकि नीवन आयुध नियम 2016 के अनुसार शासन स्तर से अतिशीघ्र नये प्रपत्रों में लाइसेंस निर्गत किया जा सके । इसी प्रकार गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रपत्र-9 को भी मूल रूप में वापस किया जाना होगा, ताकि उसे आयुध नियम 2016 के अनुरूप नवीन प्रपत्र में निर्गत किये जाने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सन्दर्भित किया जा सके ।

3- चूंकि अब आयुध नियम 2016 के अन्तर्गत निर्गत प्रपत्रों का नवीनीकरण 05 वर्ष के लिए किया जायेगा और शासन स्तर से निर्गत नवीन प्रपत्रों को पुनः जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में लाइसेंसियों द्वारा 05 वर्ष के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, तो इस कार्य में काफी समय लगने की सम्भावना है और नवीन प्रपत्रों का समय से नवीनीकरण न होने पर शस्त्र व्यावसायियों द्वारा नियमानुसार व्यावसाय किया जाना सम्भव नहीं होगा । ऐसी स्थिति में जनहित में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि नवीन प्रपत्रों हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते समय 05 वर्ष के नवीनीकरण का प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये जिससे शासन द्वारा पुराने प्रपत्रों को नवीन प्रपत्रों में निर्गत करते समय नीवनीकरण भी कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में नवीनीकरण शुल्क इत्यादि का विवरण आयुध नियम-2016 के नयम 27 व अनुसूची 4 में वर्णित है । अनुसूची 4 के पार्ट 2 के क्रम संख्या-11 में प्रपत्र-8 निर्गत करने हेतु प्रथम बार रु 2000/- का शुल्क तथा रु 1000/- प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क की दर से आगामी 04 वर्षों के नवीनीकरण हेतु रु 4000/- का शुल्क अर्थात 05 वर्ष की वैधता/नवीनीकरण हेतु कुल 6000/- रूपये का शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा । इसी प्रकार प्रपत्र-9ए निर्गत करने हेतु प्रथम बार रु 2000/- का शुल्क तथा रु 1000/- प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क कि दर से आगामी 04 वर्षो के नवीनीकरण हेतु रु 4000/-का शुल्क अर्थात 05 वर्ष (वर्ष 2017 से 2021 तक) की वैधता/नवीनीकरण हेतु कुल रु 6000/- का शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा । इसी प्रकार नवीनीकरण हेतु स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में वर्तमान में लागू व्यवस्था के अनुसार नवीनीकरण हेतु निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी प्रपत्रवार (प्रपत्र 11, 12, 13 एवं 14) प्रति वर्ष की दर से 05 वर्ष का आगणन करते हुये अदा किया जायेगा । शासन स्तर से नवीन प्रारूप में निर्गत शस्त्र व्यावसायिक लाइसेंस प्रपत्र-8 व 9ए की वैधता वर्ष 2021 तक होगी । तद्पश्चात वर्ष 2022 से आगामी 05 वर्षो हेतु नवीनीकरण की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी । उदाहरणार्थ जिस लाईसेंसी के पास प्रपत्र-11, 12, 13 एवं 14 है, एवं यदि प्रपत्र-11 के लिए रु 3000/-,प्रपत्र-12 के लिए रु 3000/-, प्रपत्र-13 के लिए रु 2000/- एवं प्रपत्र-14 के लिए रु 1000/-स्टाम्प शुल्क

निर्धारित है, तो उनसे कुल रु 9000/- (3000+3000+2000+1000) का स्टाम्प शुल्क 01 वर्ष हेतु लिया जायेगा एवं तद्नुसार 05 वर्ष हेतु गणना की जायेगी ।

4- उक्त आयुध नियम में वायुशस्त्र व्यवहारियों के लिए प्राविधान दिये गये है । वायुशस्त्र व्यवहारियों के लिए **प्ररूप-8ए** में अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा । इसी प्रकार वायुशस्त्र व्यवहारियों के लिए अनुज्ञप्ति प्ररूप-8ए के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु प्रथम बार रु 1000/- का शुल्क तथा रु 500 प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क की दर से आगामी 04 वर्षो के नवीनीकरण हेतु 2000/- रूपये का शुल्क अर्थात 05 वर्ष की वैधता/ नवीनीकरण हेतु कुल 3000/- रूपये का शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा ।

5- चूँकि नवीनीकरण एवं नये प्रपत्र पर अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने में समय लगने की सम्भावना है । अतः पुराने अनुज्ञप्ति के आधार पर व्यवसाय मई, 2017 तक ही मान्य होगा । उसके पश्चात् पुराने अनुज्ञप्ति पर व्यवसाय अवैध मानी जायेगी ।

6- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें । चूंकी उक्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जानी है अतः जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्तानुसार मूल लाइसेंस प्रेषित करने के साथ-साथ उन प्रपत्रों के अनुरूप आयुध नियम 2016 के अनुसार प्रत्येक लाइसेंसी के प्रपत्रों (11, 12, 13 एवं 14) का विवरण/अंकित कोटा इत्यादि का विवरण नवीन प्रपत्र 8 एवं 9ए हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित प्रस्ताव विशेष वाहक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उसे शासन स्तर से अविलम्ब जारी किया जा सके ।

भवदीय,

(डा०उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-41/XX-2/17-2बी(01)/2016-तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून
(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
(3) जिला मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
(4) एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

3/1/11
(पूरन सिंह रावत)
अपर सचिव ।